



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड , लो0नि0वि0
नैनीताल



E-Mail:- eepdpwdnti@gmail.com

पत्रांक :-
सेवा में

दिनांक :-

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल।

विषय :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजुन से फगुनियाखेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.7 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online No. FP/UK/ROAD/9600/2015) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भार सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 165 / 2020 / एफ0सी0 / 2059 दि० 29.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है :-

1-	Details of area proposed for muck disposal not filled at para B 2.4 in Part I online State Govt. may provided the detail of the area proposed for muck dumping.	अवगत करना है कि इस परियोजना में muck disposal plan के अनुसार कुल 7020.00 घन मी0 मलुवा निकल रहा है, उक्त निर्माण कार्य में कुल 7138.75 घन मी0 मलवा प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। अतः सम्पूर्ण मलवा कार्ययोजना में प्रयुक्त कर लिया जागा। अतः मलवा निस्तारण हेतु अलग से भूमि की आवश्यकता नहीं होने के कारण मलवा निस्तारण हेतु भूमि प्रथक से प्रस्तावित नहीं की गई है।
2-	Sol toposheet of proposed road is not found uploaded. State Govt. may upload the Sol toposheet of the proposed road at para C(iii) in Part I.	डिजिटल मानचित्र टोपो सीट में प्रस्तावित मार्ग को अंकित करते हुए Form A के Part - I para (iii) में upload कर दिया गया है।
3-	Very few coordinates marked in the digital map of the proposed road and CA area. State Govt. may upload scanned copy of digital map providing geo coordinates at 200m to 300m interval along the alignment of the proposed road including all turning points and location of dumping site may also shown with the geo-coordinates. Geo coordinates at all the corner points of CA area may be shown.	मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के किनारे में एवं मोटर मार्ग के समरेखन में 200 मी0 में आवश्यक coordinates अंकित कर upload कर दिया गया है।
4-	Justification is not found uploaded. State Govt. may upload the justification for locating the project in the forest area.	Justification प्रपत्र (वैकल्पिक समरेखन निरस्त करने का प्रमाण पत्र) तैयार कर online upload कर दिया गया है।

5-	'Yes' is mentioned at para J in Part I related to scheduled area. State Govt. may submit the comments in this regard.	Para J Part I में scheduled area की आख्या yes/no किया जाना है reserve forest होने के कारण आख्या yes की गयी है।
6-	Name of CA area is not mentioned in the CA site suitability certificate. State Govt. may submit the CA site suitability certificate mentioning the name of the CA area.	CA भूमि की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र upload कर दिया गया है।
7-	Complete area falls in reserve forest land. Width of the road proposed in 9 m. DFO mentioned in his SIR tat Row can be taken in 6 m as this is only a link road to save the reserve forest area and trees. State Govt. not submitted any comment in this regard. State Govt. may review the same.	प्रस्तावित मोटर मार्ग में पूर्व में निर्मित चौड़ा पैदल मार्ग निर्मित है जिसकी चौड़ाई औसत 4 मी० है मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक 7 मी० चौड़ाई में ही वृक्षों हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। SIR DFO (enclosed)
8-	As per the norms of Indian Road Congress :52-2019 State Govt. is required to submit enumeration list of trees for 6.1 m width on turns and 5.2 m for rest of the alignment.	Indian Road Congress :52-2019 के अनुसार मोड़ों में 6.1 मी० एवं अन्य स्थानों में 5.10 मी० चौड़ाई में ही वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव किया गया है।
9-	State Govt. may upload the work not start certificate duly authenticated by the DFO.	कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने का DFO द्वारा हस्ताक्षरित पत्र upload कर दिया गया है।
10-	Blank NPV calculation sheet signed by Assistant Engineer, Executive Engineer and Range Forest Officer found uploaded in Part I. State Govt. may provide clarification for such casual approach in this regard and provide the NPV sheet.	NPV calculation sheet सही कर upload कर दी गयी है।
11-	State Govt. may upload the CA scheme online at para 13 in Part II.	CA scheme para 13 के Part II में upload कर दी गयी है।
12-	It is noticed that documents uploaded online are not scanned properly. State Govt. may upload properly scanned documents of the proposal in Part I/II.	Part I/II में स्पष्ट प्रतियाँ upload कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार वन भूमि स्वीकृति हेतु आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ० दीपक गुप्ता)
अधिसासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
नैनीताल

पत्रांक :- 1315 / 29mg.
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 19/6/2021

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

19/6/21
अधिसासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
नैनीताल